

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—77/2017 (2017/00220) वादपत्र

1. भैरू पिता हुक्मा कुमावत निवासी नंगपुरा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जयराम पिता हुक्मा कुमावत निवासी नंगपुरा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अर्जुन पिता हुक्मा कुमावत निवासी नंगपुरा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


निर्णय

दिनांक 19.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 04.12.2019 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पाटियाखेड़ा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर की सरहद में खाता संख्या 100 में अकिंत आराजी संख्या 512 रकबा 0.39 है, आराजी संख्या 517 रकबा 0.38 है, आराजी संख्या 518 रकबा 0.03 है, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.80 है व ग्राम थला की खाता संख्या 400 की आराजी संख्या 22 रकबा 0.11 है, आराजी संख्या 283 रकबा 0.03 है, आराजी संख्या 285 रकबा 0.28 है, आराजी संख्या 289/1642 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 301 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 1032 रकबा 0.40 है, आराजी संख्या 1064 रकबा 0.34 है, आराजी संख्या 1152 रकबा 0.20 है, कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.50 है व खाता संख्या 368 की आराजी संख्या 43 रकबा 2.04 है, आराजी संख्या 43/1621 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 294 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 295 रकबा 0.32 है, आराजी संख्या 302 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 307 रकबा 0.28 है, आराजी संख्या 1151 रकबा 0.53 है, कुल कित्ता 7 कुल रकबा 3.41 है व भूमि स्थित है उक्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 19.03.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादीगण एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है एवं प्रतिवादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री कब्जे एवं मौके को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर आदेश दिया गया था किन्तु विभाजन प्रस्ताव में सारी किमती जमीन वादी के हिस्से में रख दी तथा हमारी आराजी में आवागमन का रास्ता नहीं छोड़ा गया है ओर मनमर्जी से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाया जावे। इस पर वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति पर जवाब के रूप में निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया ओर हर खेत पर जाने के लिये पर्याप्त रास्ता दिया गया है। अतः आपत्ति निरस्त फरमाते हुए अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

मैंने अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई वाद में जारी प्राथमिक डिक्री में स्पष्ट रूप से अकिंत कर रखा कि मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे इसका आशय यह है कि कब्जे को प्राथमिकता देते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार



किया जाना है। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट अंकित है कि मोके की नपती की जाकर आदेशानुसार व कब्जेनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही रास्ते बाबत् की गई आपत्ति के सम्बन्ध में विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया तो कि जो जो खसरा नम्बर वादी एवं प्रतिवादी को विभाजन प्रस्ताव में दर्शाये गये हैं जिनको नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि हर पक्षकार को दी गई भूमि रास्ते से लगती हुई है किसी भी पक्षकार को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ते की समस्या नहीं है ऐसी स्थिति में विपक्षी अधिवक्ता की आपत्ति पर नया विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना मात्र प्रकरण को विलम्ब करना है जो स्वीकार योग्य नहीं होकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाउ डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 400 की प्रस्तावित आराजी संख्या 22/3 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 283 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 289/1642 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 307 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 43/3 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 43/1621/1 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1064/1 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1151/1 रकबा 0.19 है0, कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.45 है0 भूमि व ग्राम पाटियाखेड़ा के खाता संख्या 100 में प्रस्तावित आराजी संख्या 512 रकबा 0.39 है0 भूमि भैरूलाल पिता हुक्मा कुमावत सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 22/1 रकबा 0.0350 है0, आराजी संख्या 43/2 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 43/1621/2 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 285 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1151/3 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1152 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1064/2 रकबा 0.17 है0, कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.4850 है0 भूमि व ग्राम पाटियाखेड़ा के खाता संख्या 100 में प्रस्तावित आराजी संख्या 517 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 518 रकबा 0.03 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.41 है0 भूमि जयराम पिता हुक्मा सा. देह खातेदार तथा ग्राम थला में अंकित खाता संख्या 368 की प्रस्तावित आराजी संख्या 22/2 रकबा 0.0350 है0, आराजी संख्या 43/1 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 43/1621/3 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 294 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 295 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 301 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 302 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1032 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 1151/2 रकबा 0.26 है0, कुल कित्ता 9 कुल रकबा 1.9750 है0 भूमि अर्जुनलाल पिता हुक्मा कुमावत सा0देह खातेदार एवं रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला, भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—77/2017 (2017/00220) वादपत्र

1. भैरू पिता हुक्मा कुमावत निवासी नंगपुरा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जयराम पिता हुक्मा कुमावत निवासी नंगपुरा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अर्जुन पिता हुक्मा कुमावत निवासी नंगपुरा, थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।


प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 400 की प्रस्तावित आराजी संख्या 22/3 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 283 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 289/1642 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 307 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 43/3 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 43/1621/1 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 1064/1 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1151/1 रकबा 0.19 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.45 है0 भूमि व ग्राम पाटियाखेड़ा के खाता संख्या 100 में प्रस्तावित आराजी संख्या 512 रकबा 0.39 है0 भूमि भैरूलाल पिता हुक्मा कुमावत सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 22/1 रकबा 0.0350 है0, आराजी संख्या 43/2 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 43/1621/2 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 285 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1151/3 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1152 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 1064/2 रकबा 0.17 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.4850 है0 भूमि व ग्राम पाटियाखेड़ा के खाता संख्या 100 में प्रस्तावित आराजी संख्या 517 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 518 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.41 है0 भूमि जयराम पिता हुक्मा सा. देह खातेदार तथा ग्राम थला में अकिंत खाता संख्या 368 की प्रस्तावित आराजी संख्या 22/2 रकबा 0.0350 है0, आराजी संख्या 43/1 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 43/1621/3 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 294 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 295 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 301 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 302 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1032 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 1151/2 रकबा 0.26 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.9750 है0 भूमि अर्जुनलाल पिता हुक्मा कुमावत सा0देह खातेदार एवं रहन बदस्तुर जमाबन्दी रखे जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

की गई




19.3.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

